[2021] 11 एस. सी. आर 937

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड।

बनाम

मलाना पावर कंपनी लिमिटेड।

(2019 की सिविल अपील No.5132)

15 नवंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

आकस्मिकता नीति-बीमा कंपनी का मामला कि शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के जल विज्ञान डेटा का दमन या खुलासा नहीं किया गया था-राष्ट्रीय आयोग ने अनुमति दी शिकायतकर्ता-हस्तक्षेप-आयोजित: नहीं माँगा गया-यह डेटा के दमन या गैर-प्रकटीकरण का मामला नहीं है जो भी डेटा था

उपलब्ध होने पर, शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को सूचित कर दिया है-बीमा कंपनी को पिछली बीमा कंपनी से प्राप्त पहले की बीमा पॉलिसी के बारे में पता था शिकायतकर्ता ने कहा कि पिछले वर्ष के ऐसे जलविज्ञान डेटा के लिए नहीं पूछने का कोई कारण नहीं था-इसके अलावा, विषय पॉलिसी को रद्द करना भी शिकायतकर्ता द्वारा किए गए दमन या धोखाधड़ी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के बीमित राशि को संशोधित करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है; और बीमा कंपनी पिछले वर्ष के दावे को फिर से सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थी।

उनके ब्याज की सुरक्षा के लिए बीमा बाजार-इस प्रकार, दावे को अस्वीकार करने के लिए कोई गैर-प्रकटीकरण या धोखाधड़ी नहीं थी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी जलविज्ञान डेटा को दबाने में कोई दमन या गैर-प्रकटीकरण नहीं था

1.2 वर्ष 2001-02 के लिए विशेष आकस्मिकता नीति इफको-टोक्यो से प्राप्त की गई थी और बीमित राशि केवल रु. 5 करोड़। जब प्रत्यर्थी ने कवरेज बढ़ाने का अनुरोध किया है तो रु। 10.00 करोड़, उसी पर सहमति हुई

11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी और पिछले वर्ष की नीति के समान नियमों और शर्तों के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया जो इफको टोक्यो के साथ था। इसके अलावा कवरेज की राशि रुपये से बढ़ा दी गई थी। 5 करोड़ से रु। 10.00 अपीलार्थी द्वारा जारी पॉलिसी में करोड़, अन्य सभी नियम और शर्तें समान थीं। अपीलार्थी उस अवधि के लिए प्रतिवादी के पक्ष में विषय पॉलिसी जारी करने से पहले प्रतिवादी द्वारा इफको-टोक्यो के साथ की गई पहले की बीमा पॉलिसी से अवगत था। 07.07.2002 से 06.07.2003 तक। यदि वे पिछले वर्ष के जलविज्ञान आंकड़ों की जांच करते हैं, तो इससे पहले भी इस तरह के आंकड़ों की मांग करना अपीलार्थी की जानकारी में था।

अनुबंध में प्रवेश करना। यह डेटा के दमन या गैर-प्रकटीकरण का मामला नहीं है जैसा कि अनुरोध किया गया है, और जो भी डेटा उपलब्ध था, प्रतिवादी ने अपीलार्थी को बता दिया है। जब अपीलार्थी को प्रतिवादी द्वारा इफको-टोक्यो से प्राप्त पहले की बीमा पॉलिसी के बारे में पता था, तो पिछले वर्ष के ऐसे जलविज्ञान डेटा के लिए नहीं पूछने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी की ओर से जलविज्ञान डेटा का गैर-प्रकटीकरण या कोई धोखाधड़ी हुई थी, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावे को अस्वीकार करने के लिए पेश किया गया है। [पैरा 11] [943-ई-एच; 944-ए-बी

1.3 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 1 की कार्यवाही के माध्यम से विषय पॉलिसी को रद्द करना भी प्रतिवादी द्वारा किए गए दमन या धोखाधड़ी के कारण नहीं था, बल्कि यह केवल इस कारण से था कि प्रतिवादी ने बीमित राशि को रुपये से संशोधित करने के अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। 10.00 करोड़ से रु। 5 करोड़। इसके अलावा, पॉलिसी को रद्द करना इस आधार पर है कि वे अपने ब्याज की सुरक्षा के लिए बीमा बाजार में दावे का पुनर्बीमा करने में सक्षम नहीं थे। यदि कोई दमन या गैर-प्रकटीकरण था, जैसा कि अनुरोध किया गया था, तो अपीलार्थी केवल ऐसे आधार पर रद्द कर देता। किसी भी समय ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया था, न तो दिनांक 20.11.2002 जारी करने के चरण में, या दिनांक 25.11.2002 जारी करते समय शेष अवधि के लिए अनुपात के आधार पर प्रीमियम वापस करके पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था। [पैरा 12] [944-बी-डी]

1.4 यह प्रस्तुत करना कि प्रत्यर्थी ने उस चेक को भुनाया है जो मूल बीमा कंपनी, आनुपातिक प्रीमियम की वापसी के लिए जारी किया गया था।

लिमिटेड। वी. मलाना पावर कंपनी लिमिटेड।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दावा केवल उस अवधि के लिए था जिसके लिए बीमा पॉलिसी लागू थी। [पैरा 13] [944-ई-एफ]

1.5 कोई गैर-प्रकटीकरण या धोखाधड़ी नहीं थी, जैसा कि अनुरोध किया गया था

दावे को अस्वीकार करने के लिए अपीलार्थी। कोई भौतिक दमन हुआ या नहीं, यह तथ्य की बात है, जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर सामग्री से सत्यापित किया जाना है। [पैरा 14] [944-एफ]

1.6 इफको-टोक्यो के साथ पिछली नीति

पिछले वर्ष, 07.07.2001 से 06.07.2002 तक की अवधि के लिए था अपीलार्थी को सूचित किए जाने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई दमन या गैर-प्रकटीकरण किया गया था। [पैरा 15] [945-ए-बी]

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम। महेंद्र निर्माण (2019) 18 एस. सी. सी. 209 का उल्लेख किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2019) 18 एससीसी 209

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 5132

2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 28.02.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2005 की मूल याचिका No.53 में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली।

महावीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहन बाबू अग्रवाल, सेलेस्टे

अग्रवाल, आकांक्षा अग्रवाल, मुकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

नीरज मल्होत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , समीर नंदवानी, मेसर्स शकील अहमद

सैयद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. यह दीवानी अपील अपीलार्थी/ओरिएंटल बीमा द्वारा दायर की जाती है।

कंपनी लिमिटेड, दिनांकित 28.02.2019 के आदेश से व्यथित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण द्वारा 2005 का ओ. पी. No.53

आयोग, नई दिल्ली। उपरोक्त आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आयोग ने प्रतिवादी/शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा दायर शिकायत को स्वीकार कर लिया है। और अपीलार्थी को [2021] 11 एस. सी. आर. के साथ बीमा पॉलिसी के संदर्भ में प्रत्यर्थी को हुए नुकसान के लिए रु. 4,68,33,840/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायत दर्ज करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज।

2. प्रतिवादी एक कंपनी है जो मलाना नालाह के आसपास एक पनबिजली परियोजना चलाती है। प्रत्यर्थी एक सुरक्षित करने में रुचि रखता था

किसी भी कमी के संबंध में क्षतिपूर्ति जो इसके पनबिजली संयंत्र में कुल वार्षिक बिजली उत्पादन में हो सकती है

12 महीने की अवधि के लिए जोखिम, मशीनरी का टूटना, लाभ का नुकसान आदि। दूसरी बीमा पॉलिसी विशेष आकस्मिकता पॉलिसी थी जो जल विज्ञान के नुकसान के कारण बिजली उत्पादन का नुकसान। वर्ष 2001-02 के लिए बीमा कवरेज 07.07.2001 से 06.07.2002 तक 12 महीने की अवधि के लिए था। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से शुरू होने वाली अवधि के लिए इसी तरह की नीतियां प्राप्त की हैं।

07.07.2002 06.07.2003 तक। विशेष आकस्मिकता नीति के संबंध में, जिसमें जल विज्ञान के नुकसान के कारण बिजली उत्पादन के नुकसान को शामिल किया गया था, वर्ष के लिए जोखिम कवर 2001-02 रु। 5 करोड़। चूंकि बिजली उत्पादन के संभावित नुकसान का अनुमान लगभग रु। 8. 00 करोड़, प्रतिवादी चाहता था कि जोखिम कवरेज रुपये से बढ़ाया जाए। 5 करोड़ से रु। वर्ष के लिए 10.00 करोड़ 2002-03। अपीलार्थी द्वारा नियम और शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। वर्ष 2002-03 के लिए अपीलार्थी से प्राप्त विशेष आकस्मिकता नीति में रु. 10.00 रुपये के बजाय करोड़। 5 करोड़, जैसा कि पिछले बीमाकर्ता यानी इफको टोक्यो द्वारा पिछले वर्ष के लिए प्रदान किया गया था। विशेष आकस्मिकता

अपीलार्थी द्वारा जारी नीति उसके द्वारा जारी नीति के समान थी। एम/एस। इफको-टोक्यो बीमित राशि को छोड़कर रु। 10.00 जल विज्ञान के नुकसान के कारण कुल वार्षिक बिजली उत्पादन में कमी के मामले में करोड़। उत्तरदाता द्वारा Rs.16,95,750/- के प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, बीमा कंपनी 7 (सात) दिनों की पूर्व सूचना जारी करके पॉलिसी को रद्द करने की हकदार थी।

4. जब अपीलार्थी पुनर्बीमा बाजार में पुनर्बीमा प्राप्त करने में सक्षम नहीं था ताकि उसे आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया जा सके

बीमा उद्योग द्वारा व्यवसाय प्रतिधारण मानदंड, इसने शर्तों और मूल बीमा कंपनी को संशोधित करने के लिए प्रतिवादी को दिनांकित 11.11.2002 का एक पत्र संबोधित किया है।

लिमिटेड। वी. मलाना पावर कंपनी लिमिटेड। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

बीमा कवरेज को घटाकर एक लाख रुपये करने के लिए पॉलिसी की शर्तें। 5. 00 करोड़ रुपये से। 10.00 करोड़। अपीलार्थी द्वारा जारी दिनांकित 11.11.2002 पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बीमित राशि रुपये रखी जानी थी। 5. 00 करोड़ क्योंकि कोई भी पुनर्बीमाकर्ता रुपये से अधिक की बीमित राशि स्वीकार करने को तैयार नहीं था। 5 करोड़। जब रुपये की बीमित राशि के साथ पॉलिसी को संशोधित करने का उक्त प्रस्ताव है। प्रत्यर्थी द्वारा 5 करोड़ रुपये स्वीकार नहीं किए गए, अपीलार्थी ने दिनांक 25.11.2002 की कार्यवाही को रद्द कर दिया

शेष अवधि के लिए प्रो-रेटा आधार पर प्रीमियम वापस करके, यानी 27.11.2002 से 06.07.2003 तक।

5. प्रत्यर्थी ने 26.11.2002 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि 07.02.2002 से 20.11.2002 तक उत्पन्न बिजली की 28302839 KWH की कमी हुई है और नुकसान रु. 5,20,37,800/- था और 10 प्रतिशत की कटौती के बाद, प्रत्यर्थी ने रु. 4,68,33,840/- की राशि का दावा किया है। उक्त पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी ने पॉलिसी की शर्तों के अनुसार राशि की प्रतिपूर्ति के लिए अपीलार्थी के साथ एक औपचारिक दावा किया है। चूंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण से संपर्क किया

आयोग, नई दिल्ली, विशेष आकस्मिकता नीति के अनुसार रु. 8,56,77,608.81 की राशि का दावा करता है।

6. अपीलार्थी ने दावे का विरोध करते हुए लिखित बयान दायर किया है। विभिन्न आधारों पर दावे का विरोध करते हुए, मुख्य रूप से यह अपीलार्थी का मामला था कि प्रत्यर्थी ने धोखाधड़ी से

पिछले वर्ष की उस परियोजना के जलविज्ञान संबंधी आंकड़े। अपीलार्थी की याचिका को राष्ट्रीय आयोग द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था कि अपीलार्थी ने खुली आँखों से प्रतिवादी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था और उसी तर्ज पर नीति जारी की थी जो वर्ष के लिए पिछले वर्ष की थी।

2001-02 , उपलब्ध जलविज्ञान डेटा को विधिवत शामिल करके। राष्ट्रीय आयोग ने पाया है कि सामग्री का कोई खुलासा नहीं किया गया है

अपीलार्थी द्वारा जारी बीमा पॉलिसी के संदर्भ में जानकारी जब उपलब्ध जलविज्ञान डेटा प्रत्यर्थी द्वारा विधिवत प्रदान किया गया था और पॉलिसी में ही शामिल किया गया था। इसके अलावा, बीमा पॉलिसी को रद्द करने के संदर्भ में, राष्ट्रीय आयोग ने पाया है कि किसी भी समय, जल विज्ञान डेटा के संबंध में किसी भी सामग्री के दमन की कोई शिकायत नहीं थी और आगे ध्यान दिया कि विशेष आकस्मिकता पॉलिसी को रद्द करने के लिए 20.11.2002 दिनांकित नोटिस भी था

केवल इस कारण से कि प्रत्यर्थी बीमित राशि के संशोधन के लिए पॉलिसी के संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा था। (2021) 11 एस. सी. आर. से 5 करोड़ रु.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रु. 10.00 करोड़ केवल इस आधार पर कि वे अपने ब्याज का पुनर्बीमा करने में सक्षम नहीं थे। राष्ट्रीय आयोग ने स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष दर्ज करके कि प्रत्यर्थी की ओर से कोई दमन और धोखाधड़ी नहीं हुई थी, प्रत्यर्थी के दावे की अनुमति दी है और प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ पॉलिसी के संदर्भ में प्रत्यर्थी को हुए नुकसान के रूप में 840/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महावीर सिंह और विद्वान वरिष्ठ श्री नीरज मल्होत्रा को सुना है।

प्रत्यर्थी की ओर से पेश वकील। 8. यहां तक कि इस अपील में, विवादित आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का उल्लेख करके, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए

क्योंकि अपीलार्थी ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी ने धोखाधड़ी और दमन करके नीति प्राप्त की थी, इस प्रकार, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पॉलिसी प्राप्त करने से पहले वर्ष 2001-02 के पिछले जल विज्ञान डेटा का खुलासा नहीं किया गया है, इसके बावजूद कि यह पॉलिसी के साथ उपलब्ध था।

उत्तरदाता। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने ओरिएंटल बीमा कंपनी बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा। महेंद्र निर्माण 1.

9. दूसरी ओर, श्री नीरज मल्होत्रा, प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, हमें उनके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर ले गए।

राष्ट्रीय आयोग और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा कोई दमन या धोखाधड़ी नहीं की गई थी, जैसा कि अनुरोध किया गया था और प्रतिवादी के दावे को राष्ट्रीय आयोग द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी

प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में किसी भी त्रुटि के अभाव में, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि

अपीलार्थी बीमा पॉलिसी की शर्तों से अवगत है जो -

1 (2019) 18 एस. सी. सी. 209 मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। वी. मलाना पावर कंपनी लिमिटेड। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

आयोग, यह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रत्यर्थी की ओर से कोई दमन या गैर-प्रकटीकरण नहीं था, इस प्रकार, प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावे को अस्वीकार करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था और रुपये 4,68,33,840/- के दावे की अनुमति दी। 10. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन पर, हमारी भी राय है कि प्रतिवादी द्वारा पिछले वर्ष के किसी भी जल विज्ञान डेटा को दबाने में कोई दमन या गैर-प्रकटीकरण नहीं किया गया था, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया था। वर्ष 1993 से 2002 के आंकड़े प्रदान नहीं किए जा सके क्योंकि वे प्रतिवादी के पास उपलब्ध नहीं थे और यह अपीलार्थी को भी बताया गया था।

11. बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक ने पॉलिसी के अनुसार जल विज्ञान के नुकसान का आकलन करने के बजाय कई पहलुओं पर गौर किया जो दावे के लिए अप्रासंगिक हैं। वर्ष 2001-02 के लिए विशेष आकस्मिकता नीति इफको-टोक्यो और बीमित राशि से प्राप्त की गई थी

केवल रु। 5 करोड़। जब प्रत्यर्थी ने कवरेज बढ़ाने का अनुरोध किया है तो रु। ₹1 करोड़, इसी पर अपीलार्थी ने सहमति व्यक्त की और पिछले वर्ष की नीति के समान नियमों और शर्तों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो इफको-टोक्यो के साथ था। इसके अलावा कवरेज की राशि रुपये से बढ़ा दी गई थी। 5 करोड़ से रु। 10.00 अपीलार्थी द्वारा जारी नीति में करोड़ रुपये, अन्य सभी नियम और शर्तें समान थीं। अपीलार्थी 07.07.2002 से 06.07.2003 तक की अवधि के लिए प्रतिवादी के पक्ष में विषय पॉलिसी जारी करने से पहले प्रतिवादी द्वारा इफको-टोक्यो के साथ की गई पूर्व बीमा पॉलिसी से अवगत था। यदि वे पिछले वर्ष के जलविज्ञान डेटा की जांच करते हैं, तो अनुबंध में प्रवेश करने से पहले भी इस तरह के डेटा के लिए पूछना अपीलार्थी की जानकारी में था। यह अनुरोध के अनुसार डेटा के दमन या गैर-प्रकटीकरण का मामला नहीं है, और जो भी डेटा [2021] 11 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी द्वारा किया गया दमन या धोखाधड़ी, लेकिन यह केवल इस कारण से था कि प्रत्यर्थी ने बीमित राशि को रुपये से संशोधित करने के अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। 10.00 करोड़ से रु। 5 करोड़। इसके अलावा, पॉलिसी को रद्द करना इस आधार पर है कि वे अपने ब्याज की सुरक्षा के लिए पुनर्बीमा बाजार में दावे का पुनर्बीमा करने में सक्षम नहीं थे। यदि कोई दमन या गैर-प्रकटीकरण था, जैसा कि अनुरोध किया गया था, तो अपीलार्थी केवल ऐसे आधार पर रद्द कर देता। किसी भी समय ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया था, न तो दिनांक 20.11.2002 जारी करने के चरण में, या दिनांक 25.11.2002 जारी करते समय शेष अवधि के लिए अनुपात के आधार पर प्रीमियम वापस करके पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था।

13. यद्यपि श्री महावीर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी ने जारी किए गए चेक को भुनाया है।

आनुपातिक प्रीमियम की वापसी के लिए, हमारा विचार है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दावा केवल उस अवधि के लिए था जिसके लिए बीमा पॉलिसी लागू थी। 14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि कोई गैर-प्रकटीकरण या धोखाधड़ी नहीं थी, जैसा कि अपीलार्थी ने दावे को अस्वीकार करने का अनुरोध किया था। कोई भौतिक दमन हुआ या नहीं, यह तथ्य की बात है, जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर सामग्री से सत्यापित किया जाना है।

15. हालाँकि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

सीमित वी। महेंद्र कंस्ट्रक्शन ', लेकिन वही उनके मामले का समर्थन करने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। उपरोक्त निर्णय में, बीमा के प्रस्ताव में ही बीमित माल के खिलाफ पिछले दावे का खुलासा नहीं किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने माना है कि उसने मूल बीमा कंपनी का बीमा किया है।

लिमिटेड। वी. मलाना पावर कंपनी लिमिटेड। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

गलत प्रतिनिधित्व किया और प्रासंगिक सामग्री को दबा दिया। इस मामले पर आते हुए, 07.07.2001 से 06.07.2002 तक की अवधि के लिए इफको-टोक्यो के साथ पिछले वर्ष की नीति बनाई गई थी।

अपीलार्थी के लिए ज्ञात, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई दमन या गैर-प्रकटीकरण था।

16. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि इस दीवानी अपील में कोई योग्यता नहीं है, और यह योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थी ने रुपये की राशि जमा की है। रजिस्ट्री से पहले 1.25 करोड़

इस न्यायालय का जो सावधि जमा में रखा गया है। हम प्रत्यर्थी को अनुमति देते हैं

रुपये की उक्त राशि निकाल लें। बिना किसी प्रतिभूति के अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ 1.25 करोड़ रुपये। अपीलार्थी आज से तीन (03) महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को देय शेष राशि का भुगतान करेगा।

याचिका

खारिज कर दी गई।

निधि जैन